वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त.अधिनियम।
बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

::निर्णय::

दिनांक–07.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि कृषि भूमि वाके चक 16 ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं0 6 पत्थर संख्या 299/447 में प्रतिवादी संख्या 1ता4 के पिता/पति सुरेन्द्र सिंह के नाम 1.463 हैक्टर, वादी एंव विमला देवी पत्नी दौलत सिंह व प्रतिवादी संख्या 5ता7 व युवराज सिंह के नाम 1.463 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या–07 का 0.001हैक्टर, प्रतिवादी संख्या–08 का 0.002 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या–9 व 10 का 0.033 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 11 का 0.005 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 12 का 0.007 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 13 का 0.005 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 14 का 0.003 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 15 का 0.006 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 16 का 0.018 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 17 का 0.005 हैक्टर रकबा इस प्रकार कुल 3.011 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। संयुक्त रूप से कब्जा काश्त में व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यहां यह स्पष्ट कर देना उचित है कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी की माता विमला देवी व भाई युवराज सिंह की मृत्यु हो चुकी है व उनके विधिक एवं जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5ता9 है इस प्रकार वर्तमान मे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5ता9 में उक्त कुल कृषि भूमि में 1.463 हैक्टर हक, अधिकार एवं अधिपत्य मे निहित हो चुकी है तथा एक सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनोहर सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिस एवं जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1ता4 है। उक्त कृषि भूमि को आईन्दा वादपत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा। वादी यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1ता4 के पिता/पति ने अपने संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 10ता20 को राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि का जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा आपसी सहमति से कर रखा है और जिसका कोई विवाद नही है। जिन्हे आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के कारण बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता4, 5ता9 के मध्य विवादित कृषि भूमि के राजस्व कर, सिंचाई कर अदायगी एवं सिंचाई, सींव, बट आदि को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार आग्रह किया कि कब्जा काश्त मुताबिक राजस्व अभिलेख में किलावाईज खाता विभाजन करवा लेवे ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो तो वे हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे एवं आखिकार दावा से अर्सा तीन रोज पूर्व परन्तु प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखास्मत वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में पक्षकारान की तलबी की जाकर उक्त वाद पक्षकारान के मध्य केवल खाता विभाजन हेतु न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समयवाधि से लम्बित होने के कारण एवं पक्षकारान का हित प्रभावित नहीं होने की सूरत में उक्त प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार अनूपगढ से चाहा गया। तहसीलदार अनूपगढ द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किला विभाजन का

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 03/01/2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक–

वादी :–

1. बलराज सिंह पुत्र दौलत सिंह (0.291 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 9/2 का 0.016 हैक्टर, किला नं0 10/2 का 0.076 हैक्टर, किला नं0 11 का 0.183 हैक्टर, किला नं0 12/2 का 0.012 हैक्टर, किला नं0 13/1 का 0.004 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.291 हैक्टर

प्रतिवादी :–

1. विष्यन्त पुत्र सुरेन्द्र सिंह (0.365 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.095 हैक्टर, किला नं0 2/2 का 0.233 हैक्टर, किला नं0 9/2 का 0.037 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.365 हैक्टर
2. अंशु पुत्री सुरेन्द्र सिंह (0.365 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 7/3 का 0.040 हैक्टर, किला नं0 8/2 का 0.015 हैक्टर, किला नं0 13/2 का 0.009 हैक्टर, किला नं0 17/1 का 0.073 हैक्टर, किला नं0 16/1 का 0.228 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.365 हैक्टर
3. कमला पत्नि सुरेन्द्र सिंह (0.365 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 8/2 का 0.126 हैक्टर, किला नं0 3 का 0.180 हैक्टर, किला नं0 9/2 का 0.059 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.365 हैक्टर
4. अर्चना पुत्री सुरेन्द्र सिंह (0.364 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 3 का 0.073 हैक्टर, किला नं0 4/2 का 0.190 हैक्टर, किला नं0 5/2 का 0.101 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.364 हैक्टर
5. सुजाता पुत्री दौलत सिंह (0.291 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 19/2 का 0.001 हैक्टर, किला नं0 20/2 का 0.189 हैक्टर, किला नं0 21/2 का 0.101 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.291 हैक्टर
6. ममता पुत्री दौलत सिंह (0.292 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 11 का 0.070 हैक्टर, किला नं0 12/2 का 0.111 हैक्टर, किला नं0 18/2 का 0.011 हैक्टर, किला नं0 19/2 का 0.100 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.292 हैक्टर
7. बबीता पुत्री दौलत सिंह (0.292 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 7/3 का 0.044 हैक्टर, किला नं0 14/2 का 0.102 हैक्टर, किला नं0 15/2 का 0.082 हैक्टर, किला नं0 17/1 का 0.053, किला नं0 18/2 का 0.011 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.292 हैक्टर
8. मनीषा पत्नि युवराज सिंह (0.146 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 12/2 का 0.004 हैक्टर, किला नं0 18/2 का 0.142 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.146 हैक्टर
9. दिवांशी पुत्री युवराज सिंह (0.146 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.007 हैक्टर, किला नं0 10/2 का 0.139 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.146 हैक्टर
10. बनारसी देवी पत्नि श्याम सुन्दर (0.001 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.001 हैक्टर
11. कृष्णा देवी पत्नि बाबूलाल (0.002 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.002 हैक्टर

Scanned with CamScanner

12. संदीप कुमार पुत्र बहादुरसिंह (0.016 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 8/2 का 0.016 हैक्टर
13. प्रदीप कुमार पुत्र बहादुरसिंह (0.017 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 8/2 का 0.017 हैक्टर
14. जोगासिंह पुत्र रणजीत सिंह (0.005 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.005 हैक्टर
15. सन्तोष पत्नि शुभकरण (0.007 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.007 हैक्टर
16. पवन कुमार पुत्र भजनलाल (0.005 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.005 हैक्टर
17. टेकचन्द पुत्र दिवानचन्द (0.003 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.003 हैक्टर
18. शालिनी पत्नि रविकुमार (0.006 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 8/2 का 0.006 हैक्टर
19. पुष्पा रानी पत्नि नारायणदास (0.018 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 1/2 का 0.001 हैक्टर, किला नं0 2/2 का 0.007 हैक्टर, किला नं0 9/2 का 0.010 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.018 हैक्टर
20. सुमन रानी पत्नि देशराज (0.005 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 9/2 का 0.005 हैक्टर
21. सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश (0.009 हैक्टर) का हिस्सा :– चक 16 ए पत्थर नं0 299/447 मुरब्बा नं0 6 किला नं0 8/2 का 0.009 हैक्टर

उपर्युक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज है।

पत्रावली के अंतिम एवं न्यायपूर्ण निस्तारण से पूर्व वादाधीन प्रकरण में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.स. द्वारा सतनाम सिंह पुत्र श्री शीतल सिंह का अवलोकन किया गया। इसी प्रार्थना पत्र बाबत् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब का भी मदवार अध्ययन किया गया। न्यायालय के विश्लेषण दिनांक 17.08.2020 के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. द्वारा सतनामसिंह पुत्र श्री शीतल सिंह पक्षकार मुकद्मा नहीं होने के कारण एवं सारहीन होने के कारण खारिज किया गया।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत करते हुए न्यायालय से निवेदन किया गया कि प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्रतिवादी संख्या 17 प्रेमलता का हिस्सा आगे विक्रय हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या–17 का नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादी सुशील कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहाम्ण निवासी अनूपगढ़ एवं टेकचन्द पुत्र दीवानचन्द जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ का नाम संयोजित किया जावें। वकील वादी ने आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का हवाला दिया, जिसके अनुसार न्यायालय कार्रवाई के किसी भी स्तर पर चाहे पक्षकार द्वारा किये गए आवेदन पर या अन्यथा रूप से किसी भी व्यक्ति को जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित होने का अधिकार है या जिसकी उपस्थिति वाद में समाविष्ट बिन्दुओं पर साक्ष्य के लिए या सम्पूर्ण निर्णयन के लिए आवश्यक है, को पक्षकार के रूप में संयोजित कर सकता है। उक्त विश्लेषण के आलोक वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 स्वीकार किया जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक को रिकार्ड पर लिया गया। इसी के क्रम में अभिभाषक श्री शैलेन्द्र सिंह कामरा ने नवसंयोजित प्रतिवादी संख्या–20 एवं 21 क्रमशः श्री सुशील कुमार एवं श्री

Scanned with CamScanner

टेकचन्द की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव से हम सहमत है व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यद्यपि तकनीकी तौर पर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने में कोई बाधा नही है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय के समक्ष उभरकर आये निम्नलिखित दो कानूनी बिन्दुओं के संबंध में वकील वादी से क्वेरी की जाकर अगली तारीख पेशी तक उक्त के संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालयों के दृष्टांत, विधिक प्रावधान पेश करने हेतु वकील वादी को निदेशित किया गया–

i. क्या नगरपालिका पैराफेरी में स्थित भूमि जिस पर वाणिज्यिक अथवा औद्यौगिक गतिविधियॉं संचालित हो, का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन किया जा सकता है ?

ii. प्रतिवादी संख्या 18 ने अपने जवाब में कथन किया है कि चक 16ए तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 6 पत्थर नं0 299/447 में स्थित उसकी 0.006 हैक्टर रकबा का रूपान्तरण कृषि भूमि से अकृषि भूमि वाणिज्यिक में नगरपालिका अनूपगढ़ के द्वारा दिनांक 27.03.2002 को किया हुआ है व जिसका पट्टा भी पृथ्वीराज पुत्र श्री चुनाराम जाति जाट के नाम से जारी किया हुआ है। क्या उक्तानुसार नगरपालिका रिकॉर्ड में वाणिज्यिक दर्ज भूमि पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधान लागू होते है ?

वकील वादी द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 26.08.2020 को न्यायालय द्वारा की गई दो क्वेरियों के सम्बन्ध में बहस की गई एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की व्याख्या की गई, जो निम्नानुसार है–

i. क्या नगरपालिका पैराफेरी में स्थित भूमि जिस पर वाणिज्यिक अथवा औद्यौगिक गतिविधियॉं संचालित हो, का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन किया जा सकता है ?

2009(1) डी.एन.जे. 410 (राजस्थान) श्रीमति प्रेमी देवी बनाम् देवाराम व अन्य के मामलें में जोधपुर नगरनिगम क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि जिसमें कृषि नही की जाकर गैर कृषि यानि अन्य गतिविधियॉं संचालित हो रही थी जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि जहां वादाधीन सम्पति कृषि भूमि है, जो अकृषि प्रयोजनार्थ के लिए रूपान्तरित नही हुई है, वहॉं वाद की सुनवाई का एकमात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है।

अपने उक्त मत की पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2018(2) डी.एन.जे. 676 (राजस्थान) करनसिंह चौहान व अन्य बनाम् मनु बाल शिक्षण संस्थान, जोधपुर सूरसागर जोधपुर, 2008(1) डब्ल्यू.एल.एन. 374 (राजस्थान) जन्नत फरोश व अन्य बनाम् अल्फू व अन्य, लालसिंह झाला बनाम् पन्ना लाल एस.बी. सिविल मिसलेनियस अपील नम्बर 1644/2012 निर्णय दिनांक 22.08.2016 के मामले में की गई है।

2008 (1) उब्ल्यू.एल.एन. 374 (राजस्थान) जन्नत फरोश व अन्य बनाम् अल्फू के मामले में अवधारित किया गया है कि धारा 207 आर.टी. के प्रावधान अनुसार All suits and Application of the nature specified in third schedule shall be heard and determine by a revenue court. चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विशिष्ट विधि है की धारा 207 के प्रावधान अनुसार राजस्थान में स्थित कृषि भूमि के संबंध में धारा

Scanned with CamScanner

53 के तहत बंटवारा के वाद की सुनवाई का एकमात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय यानि माननीय न्यायालय को है। चूंकि प्रकरण में दर्ज वादाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में आज रोज तक कृषि भूमि के रूप में दर्ज है व अकृषि प्रयोजन के लिए रूपान्तरित नही हुई है इसलिए माननीय राजस्व न्यायालय को बंटवारा का एकमात्र श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है और प्रकरण में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित होने योग्य है।

ii. **प्रतिवादी संख्या 18 ने अपने जवाब में कथन किया है कि चक 16ए तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 6 पत्थर नं0 299/447 में स्थित उसकी 0.006 हैक्टर रकबा का रूपान्तरण कृषि भूमि से अकृषि भूमि वाणिज्यिक में नगरपालिका अनूपगढ़ के द्वारा दिनांक 27.03.2002 को किया हुआ है व जिसका पट्टा भी पृथ्वीराज पुत्र श्री चुनाराम जाति जाट के नाम से जारी किया हुआ है।**

इस संबंध में वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 18 ने अपने जवाब में अंकित कथन के समर्थन में संबंधित रकबे का कृषि भूमि से अकृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। वाद में दर्ज वादाधीन कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 18 के नाम रकबा कृषि भूमि के रूप में दर्ज है और माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 18 को कृषि भूमि को सह–काश्तकारान मानकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री को प्रतिवादी संख्या 18 द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में मियाद अवधि में चुनौती नही दी गई है इसलिए प्राथमिक डिक्री अन्तिम हो चुकी है और प्रकरण के पक्षकार/प्रतिवादी संख्या 18 के लिए रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1963 ए.आई.आर. (सुप्रीम कोर्ट) 992 वेंकटा रेड्डी व अन्य बनाम् पोथी रेड्डी के मामल में अपना मत अवधारित किया है कि Priliminary Decree….. A decision is said to be final, when, so far as the court rendering is concerned, it is unalterable except by resort to such provision of the code of civil procedure as permit its reversal, modification or amendment. similarly, a final decision would mean a decision which would operate as res judicae between the parties if it is not sought to be modified or reversed by preferring an appeal or a revision or a review application as is permitted by the code.

चूंकि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 18 के नाम का रकबा आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है इसलिए प्रतिवादी संख्या 18 का रकबा अकृषि प्रयोजन के रूपान्तरित होने का तथ्य/कथन स्वीकार योग्य नही है। प्रतिवादी संख्या 18 का स्टेटस कृषि भूमि के सह–काश्तकारान का है, इसलिए बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित होने योग्य है।

न्यायालय हाजा की विनम्र राय में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त (2009) 1 डी.एन.जे. 410, (2009) आर.आर.डी. 280, 2016 डी.एन.जे. (राजस्व) 193, 2008(1) डब्ल्यू.एल.एन. 374, 1963 ए.आई.आर. (सुप्रीम कोर्ट) 992 वेकटां रेडडी व अन्य बनाम् पोशी रेड्डी से संबंद्ध न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत विचाराधीन प्रकरण में पूरी तरह से चस्पा होते है, फलतः हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार होने पर अंतिम डिक्री जारी किए जाने में कोई विधिक बाधा नही है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है तथा वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Scanned with CamScanner

::आदेश ::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी एवं प्रतिवादीगण 1ता21 के मध्य तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 22 को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। डिक्री पर्चा मुरतिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़